न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 977/2017

1. नानगराम पुत्र श्री नैनू, जाति बलाई, निवासी बडागाँव जरख्या, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– अपीलान्ट/वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण, जरिये सचिव, पता जे.एल.एल. मार्ग, जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री प्रभुसिंह राजावत अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री जी.एल. मीणा रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 19–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मुख्यालय जयपुर वाद संख्या 127/2014 उनवानी नानगराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य प्रस्तुत की गई है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने विचारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का बाबत् साबिक खसरा नम्बर 238, हाल खसरा नम्बर 506 लगायत 508, 513, 514,, 522 लगायत 527, 514/817 वाके ग्राम बडा गांव जरख्या में से 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया। वादी अपीलान्ट द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर वाद वादी खारित करने का निवेदन किया। उभय पक्षीय अभिवचनों के आधार पर तनकियात कायम की गई तनकी संख्या 1 आया वादी ग्राम बडा गांव जरख्या के गत खसरा नम्बर 238 मे से 4 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 506 लगायत 508, 513, 514, 522 लगायत 527, 514/817 की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। तनकी संख्या आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है, कायम की गई जिनको साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य हेतु पी.डब्ल्यू. 1 नानगराम पुत्र नैनू, पी.डब्ल्यू 2 रामनारायण पुत्र भवर मीणा, पी.डब्ल्यू 3 प्रभु दयाल मीणा पुत्र जोधा राम, पी.डब्ल्यू 4 पुष्पेन्द्र उर्फ पप्पू पांचू राम, पी.डब्ल्यू 6 सीताराम पुत्र नारायण मीणा को बतौर साक्ष्य पेश किया जिनसे जिरह की गई। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के समर्थन में प्रदर्श–पी/1 हाल जमाबन्दी, प्रदर्श–पी/2 जमाबन्दी सम्वत 2057 लगायत 2060 प्रदर्श पी/3 आवंटन आदेश दिनांक 31 अगस्त 1978 प्रदर्श पी/4 जमाबन्दी सम्वत 2023, प्रदर्श–पी/5 मिलान क्षेत्रफल हाल सर्वे सम्वत 2046 लगायत 2065, प्रदर्श–पी/6 खतौनी बन्दोबस्त 1989 से 2009, प्रदर्श–पी/7 खसरा गिरदावरी सम्वत 2050, प्रदर्श–पी/8 खसरा गिरदावरी 2044–2048, प्रदर्श–पी/9 प्रार्थना पत्र रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 07 मई 2014, प्रदर्श–पी/10 नक्शा, प्रदर्श–पी/11 नक्शा 1984 लगायत 1995, प्रदर्श–पी/12 एसडीओ आमेर का पत्र दिनांक 30 मई 2014, प्रदर्श–पी/13 एसडी आमेर का पत्र दिनांक 24 फरवरी पेश किये। उभय पक्षीय बहस सुनी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद अपने अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 09–10–2017 द्वारा खारिज फरमा दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, कानूनी प्रावधानों व विधि शास्त्र के सारभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। साबिक भूमि खसरा नम्बर 238, रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा से हाल भूमि खसरा नम्बर 506 लगायत 508, 513, 514, 522 लगायत 8527, 508, 513, 514, 522 लगायत 527, 514/817, हाल सर्वे से बने है जो प्रदर्श–पी/5 से साबित है तथा साबिक खसरा नम्बर 238 में से वादी के पिता के नाम भूमि जरिये आवंटन आदेश दिनांक 31 अगस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

1978 को हुई जो प्रदर्श–पी/3 से साबित है। जिसका राजस्व जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2026 प्रदर्श–पी/13 पर अंकित नोट संख्या 2 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 31 के तहत खसरा नम्बर 2 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 31 के तहत खसरा नम्बर 238 में से रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा वादी के पिता नैनू पुत्र लादू बुनकर के गैर खातेदार स्वीकार होना साबित है, तथा अन्य खसरा नम्बर दीगर व्यक्तियों के नाम अलॉट होना भी साबित है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2050 प्रदर्श–पी/7 के आधार पर साबिक खसरा नम्बर 238 के अलॉटमेन्ट पश्चात् साबित खसरा नम्बर 238/4, रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर वादी के पिता नैनू पुत्र लादू का कब्जा काश्त भी माना है जिससे यह साबित है कि वादी के पिता के नाम साबिक खसरा नम्बर 238 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा में से 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि अलॉटमेन्ट होकर गैर खातेदारी में जरिये नामान्तरकरण संख्या 31 के द्वारा दर्ज व अंकित हुई तथा शेष रकबा अन्य आवंटियों के नाम दर्ज हुई जिनकी खातेदारी आज भी हाल खसरा नम्बर 506, 507, 508, 513, 524, 525 पर मुताबिक प्रदर्श–पी/2 के दर्ज व अंकित है तथा वादी के पिता नैनू पुत्र लादू की गैर खातेदारी का अंकन हाल सर्वे के दौरान भू–प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से सरकार के नाम दर्ज कर दी गई जो क्षेत्राधिकार परिवर्तित होकर प्रतिवादी संख्या 2/रेस्पोडेंट के नाम दर्ज हो गई जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है तथा विचारण न्यायालय ने इन सब तथ्यों को साबित माना है जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। साबिक खसरा नम्बर 238 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा में से वादी के पिता नैनू पुत्र लादू के नाम रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा अलॉटमेन्ट होने के पश्चात् राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 238/4 के रूप में अंकन कर वास्तविक व भौतिक कब्जा सम्भलवा दिया गया था जिससे हाल सर्वे में बने हाल खसरा नम्बर 514 रकबा 1.11 हैक्टै0 कायम किये गये हैं जो वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या 02 के नाम दर्ज है जिस पर वादी साधिकार विरासतन हकों के अन्तर्गत काबिज काश्त है जिसका वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी है।अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना मात्र यह मत व्यक्त किया है कि वादी को साबिक खसरा नम्बर 238 मे से मात्र रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा का अलॉटमेन्ट हुआ है तथा रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा के स्थान पर वादी का सम्पूर्ण साबिक खसरा नम्बर 238 से बने हाल खसरा नम्बरो की खातेदारी चाहता है जिन पर अन्य आवंटी खातेदार दर्ज है जिससे वादी का वाद खारिज करने का मत व्यक्त किया है जबकि वादी ने साबिक खसरा नम्बर 238 में से रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा के अलॉटमेन्ट के आधार पर दर्ज गैर खातेदारी भूमि का हाल सर्वे में अंकन हजफ होने से घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज का वाद पेश किया था जिसकी पूर्ति हाल खसरा नम्बर 514 से होती है तथा हाल खसरा नम्बर 514 की राजस्व नक्शें में स्थिति साबिक खसरा नम्बर 238/4 के स्थान पर साबित है जिससे वादी हाल खसरा 514 रकबा 1.11 हैक्टै0 की खातेदारी घोषणा करवाकर दुरूस्ती इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। अपीलान्ट/वादी अनुसूचित जाति का अनपढ वृद्ध काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलती को नहीं समझ पाया तथा विचारण न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट प्रदर्श–पी/9 पर भी कोई गौर नहीं किया जिसमें स्पष्ट अंकित है कि साबिक खसरा नम्बर 238 में से 04 बीघा 05 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 238 में से 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि नानू राम पुत्र लादू राम जाति बलाई निवासी बडागाँव जरख्या के नाम दिनांक 03 अगस्त 1978 को आवंटित हुई जिसका नामान्तरकरण संख्या 31 गैर खातेदारी का स्वीकार होने पर जमाबन्दी सम्वत 2023–2026 में खाता संख्या 01 पर नामान्तरकरण स्वीकार होने का अंकन है तथा साबिक खसरा नम्बर 238 से हाल विवादग्रस्त आराजी मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बनाने का उल्लेख किया है तथा वर्तमान में उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है तथा आंवटन की गैर खातेदारी भूमि का अमल भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नहीं किया जाना अपनी रिपोर्ट दिनांक 07 मई 2014 में अंकित किया है जो प्रदर्श–पी/9 से साबित है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद पत्र प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर साबिक खसरा नम्बर 238 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा में से रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि वादी के पिता की गैर खातेदारी में दर्ज होना व खसरा गिरदावरी के आधार पर भूमि 04 बीघा 05 बिस्वा पर कब्जा काश्त होना साबित माना है। वादी ने न्यायालय के समक्ष अपने वाद को बखूबी साबित किया है कि वादी के पिता को साबिक खसरा नम्बर 238 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा में से 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि अलॉटमेन्ट हुई थी जिस पर वादी के पिता काबिज काश्त थे तथा राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 31 का अमल अन्य आवंटियों की तरह हो चुका था तथा आवंटन के पश्चात साबिक खसरा नम्बर 238 कोई भी रकबा राज्य सरकार के नाम शेष नहीं रहा था फिर भू–प्रबन्ध विभाग के समय विधि विरूद्ध रूप से वादी

राजस्व अपील अधिकारी
जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

के हक पूर्वाधिकारियों नैनू पुत्र लादू का रकबा प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दिया। यह सब तथ्य सिद्ध होते हुए भी विद्वान विचारण न्यायालय ने न्याकि मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि साविक खसरा नम्बर 238 में से वादी के पिता के नाम 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि दिनांक 31 अगस्त 1978 को आवंटित हुई थी तथा उक्त भूमि का गैर खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 31 दर्ज होकर खसरा नम्बर 238/4 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा कायम किया गया था। उक्त नामान्तरकरण का जमाबन्दी संवंत 2023–26 में नोट अंकित कर दिया था परन्तु भू–प्रबन्ध कमर्चारियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अपीलान्ट के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं किया जाकर भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया जो कि बाद में रेस्पोडेंटस संख्या 02 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज हो गई। वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा दी गई रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टस का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में अपीलान्ट के पिता नानू तथा तत्पश्चात अपीलान्टस काबिज है अतः वे उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुके है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं अपने अपीलान्ट का कब्जा काश्त होना माना गया है परन्तु सिर्फ यह उल्लेख करते हुए कि साविक खसरा नम्बर 238 से बने कुल सम्पूर्ण खसरा नम्बर की भूमि पर खातेदारी दिया जाना उचित नहीं है, वाद का वाद खारिज कर दिया गया है जो कि उचित नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त कथन करते हुए अपील स्वीकार की जाकर हाल कब्जा काश्त अनुसार वादी का वाद स्वीकार फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट वादी का वाद तनकीवार निर्णय किया जाकर तथा समुचित विवेचन उपरान्त खारिज किया गया है। वादी द्वारा साबिक खसरा नम्बर 238 से बने वर्तमान संपूर्ण खसरा नम्बरान पर खातेदारी दिये जाने का अनुतोष चाहा गया था जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता था इसलिए न्यायालय द्वारा उचित तौर पर वादी का वाद खारिज किया गया है।

7– अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वाद एवं जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई थीः–

(1) आया वादी ग्राम बडागांव जरख्या के गत खसरा नम्बर 238 में से 04 बीघा 05 बिस्वा जिसके हाल ख0 न. 526 लगा. 508, 513, 514, 522 लगायत 527, 514/817, की खातेदार काश्तकार घोषित करने का अधिकारी है।

(2) आया वादी प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अधिकारी है।

(3) अनुतोष

उपरोक्त तनकीवार विवेचन एवं निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

1– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का विवेचन करते हुए उल्लेख किया गया है कि "वादी द्वारा साबिक खसरा नम्बर 238 में से 04 बीघा 05 बिस्वा का अलॉटमेन्ट दिनांक 31.08.1978 को होना बताया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 31 के तहत खसरा नम्बर 238 से रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा गैर खातेदारी स्वीकार होना तथा जमाबन्दी संवंत 2023 लगायत 2026 में इस बाबत् हाल मिलान क्षेत्रफल अनुसार वाद की मद संख्या 01 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 506 लगायत 508, 513, 514, 522 लगायत 527, 517/817 स्थित ग्राम बड़ा गावं जरख्या तहसील आमेर की खातेदारी चाही गई है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रतिवादीगण संख्या 02 के जवाब द्वारा इन तथ्यों को इंकार नहीं किया गया है तथा तहसीलदार आमेर की वस्तुस्थिति रिपोर्ट दिनांक 02.09.2015 अनुसार ग्राम बडागांव जरख्या साविक खसरा नम्बर 238 में आवंटन पत्र अनुसार नानू पुत्र लादू के 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि आवंटन होना तथा मुताबिक प्रदर्श 3 आवंटन पत्र दिनांक 31.08.1978 प जमाबन्दी संवंत 2023 लगायत 2026 के खाता संख्या 01 खसरा नम्बर 238 के नोट संख्या 2 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 31 के तहत खसरा नम्बर 238 में से 04 बीघा 05 बिस्वा लगान 1.66 रूपये नानू पुत्र लादू गैर खातेदार स्वीकार होने का अंकन पाया जाता है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी

खसरा गिरदावरी प्रदर्श 7 संवंत 2052 के खसरा नम्बर 238/4 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा पर नानू पुत्र लादू जाति बलाई साकिन देह गैर खातेदारी द्वारा खरीफ की फसल 4 बीघा 5 बिस्वा में बाजरा बोने वादी के पिता का कब्जा होना पाया जाता है। जिससे यह साबित है कि ग्राम बडागांव जरख्या तहसील आमेर जिला जयपुर के साविक खसरा नम्बर 238 में से आंशिक रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा की अलॉटमेन्ट कर गैर खातेदारी में होना तथा साविक खसरा नम्बर 238 के अलॉटमेन्ट के पश्चात साविक खसरा नम्बर 238/4 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा पर वादी के पिता का काबिज होना साबित है लेकिन वादी द्वारा साविक खसरा नम्बर 238 जिसका कुल रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा में से मात्र वादी के पिता के नाम 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि अलॉटमेन्ट के आधार पर गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया जाती है तथा मुताबिक जमाबन्दी संवंत 2023–26 के खाता संख्या 01 खसरा नम्बर 238 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा पर कुल 5 नोट अंकित है जिनके आधार पर अलग–अलग के नाम भूमि अलॉट कर गैर खातेदारी में स्वीकार पाई जाती है तथा प्रदर्श 10 राजस्व नक्शे के मुताबिक भी खसरा नम्बर 238 में अलॉटमेन्ट के बाद तरमीम होना पाया जाता है, जिस पर वादी के पिता के नाम विवादित आराजी में कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा मात्र का अलॉटमेन्ट होकर गैर खातेदारी आराजी होना व 4 बीघा 5 बिस्वा पर कब्जा काश्त होना पाया जाता है लेकिन वादी द्वारा साविक खसरा नम्बर 238 के सम्पूर्ण रकबे से बने हाल खसरा नम्बर 506 लगायत 508, 513, 514, 522 लगायत 527, 514/817 पर खातेदारी चाही गई है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 02.09.2015 खसरा नम्बर 506, 507, 508, 513, 524, 525 की खातेदारी कानाराम, रामकुमार पुत्र भौंरी लाल के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 514/827, 526, 527 की खातेदारी कल्याण सहाय पुत्र रामपाल के नाम से दर्ज है। खसरा नम्बर 514, 522, 523 की खातदारी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज है। वादी द्वारा भूरीलाल व रामपाल पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है तथा साविक खसरा नम्बर 238 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा सम्पूर्ण से हाल सर्वे में हाल खसरा नम्बर 506 लगायत 508, 513, 514, 522 लगायत 527, 574/827 की खातेदारी प्रदान किया विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। वादी द्वारा सम्पूर्ण विवादित आराजी की खातेदारी चाही गई है, जबकि अलॉटमेन्ट दीगर व्यक्तियों के नाम किये उपरोक्त वर्तमान उनके वारिसान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिससे हाल विवादित आराजी खातेदारी प्राप्त करने के वादी अधिकारी नहीं होने से विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त विवेचन में वादी के पिता को साविक खसरा नम्बर 238 में से 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटन होना, आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी नामान्तरकरण स्वीकार होना, उक्त नामान्तरकरण का तत्कालीन जमाबन्दी में अमल–दरामद होना तथा अमल दरामद के पश्चात बने साविक खसरा नम्बर 238/4 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा पर वादी के पिता की कब्जा काश्त होना स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए इस आधार पर वादी का वाद खारिज किया गया है कि वादी द्वारा हाल संपूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि पर खातेदारी चाही जाने से वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यहां पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2014 जो प्रदर्श 9 के रूप में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है का अवलोकन नहीं किया गया है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि गत खसरा नम्बर 238/4 के नये खसरा नम्बर 506/0.56, 507/0.06, 507/0.06, 508/0.06, 513/0.12, 525/0.06, 514/0.56, 523/0.096 कुल रकबा 1.06 हैक्टै0 बने है। पत्रावली में एक पत्र प्रदर्श 12 के रूप में उपलब्ध है जो उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा वादी नानूराम पुत्र लादूराम को प्रेषित किया जाकर यह हिदायत दी गई है कि वर्तमान वादी को आवंटन भूमि के हाल खसरा नम्बर 506/0.56, 507/0.06, 507/0.06, 508/0.06, 513/0.12, 525/0.06, 514/0.56, 523/0.096 कुल रकबा 1.06 हैक्टै0 बने है तथा उक्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही की कार्यवाही करने की हिदायत दी गई है। वादी अनुसूचित जाति का तथा पढा–लिखा व्यक्ति न होने के कारण उसके अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में साविक खसरा नम्बर 238 के सम्पूर्ण रकबा से बने हाल खसरा नम्बर की खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है जो वादी द्वारा जान–बूझकर की गई गलती नहीं बल्कि अधिवक्ता की असावधानी का नतीजा है जिसकी वादी को नहीं दी जा सकती है। वैसे भी वादी द्वारा अपने को आवंटन शुदा भूमि रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा हेतु ही खातेदारी दी जाने का अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय को अपने उक्त विवेचन के उपरान्त वादी को आवंटन शुदा भूमि खसरा नम्बर 238/4 से बने हाल खसरा नम्बरान जिन पर वादी का कब्जा काश्त होना स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है, खातदारी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने चाहिए थे। जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

केपिता को किया गया आवंटन निरस्त नहीं किया गया है तथा वादी आवंटन शुदा भूमि पर आवंटन के पश्चात से लगातार काबिज काश्त है तथा उक्त तथ्य राजस्थान सरकार की ओर से स्वीकार किये गये है, अतः वादी अपनी आवंटन शुदा भूमि में खातेदारी अधिकारो को प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 में किये गये विवेचन के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष पारित किया गया है वह न्यायोचित नहीं हैं। अतः तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में स्वीकार की जाकर वादी को साविक खसरा नम्बर 238/4 से बने नये खसरा नम्बर 506 रकबा 0.14 हैक्टै0, 507 रकबा 0.06 हैक्टै0, 508 रकबा 0.06 हैक्टै0, 513 रकबा 0.12 हैक्टै0, 525 रकबा 0.06 हैक्टै0, 514 रकबा 0.56 हैक्टै0, 523 रकबा 0.06 हैक्टै0, कुल रकबा 1.06 हैक्टै0 का खातदोर काश्तकार घोषित किये जाने का अधिकारी पाया जाता है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 उपरोक्त संशोधन के साथ वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2– उक्त तनकी का विवेचन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि "प्रदर्श 7 के मुताबिक विवादित आराजी के साविक खसरा नम्बर 238/4 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा पर वादी के पिता नानू पुत्र लादू की काश्त दर्ज होने से काबिज होना तो साबित है लेकिन विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से वादी विवादित आराजी का खातेदार नहीं है जिससे वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत खातेदार नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का वादी अधिकारी नहीं है।" उक्त विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि जो साविक खसरा नम्बर 238/4 से बने है पर वादी को काबिज होना स्वीकार किया है लेकिन तनकी संख्या 1 के निर्णय अनुसार खातेदार नहीं होने से वादी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना है। तनकी संख्या 1 को उपरोक्त विवचेन अनुसार संशोधित किया जाकर वादी के पक्ष में निर्णित किया जा चुका है तथा वादी साविक खसरा नम्बर 238/4 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 506 रकबा 0.14 हैक्टै0, 507 रकबा 0.06 हैक्टै0, 508 रकबा 0.06 हैक्टै0, 513 रकबा 0.12 हैक्टै0, 525 रकबा 0.06 हैक्टै0, 514 रकबा 0.56 हैक्टै0, 523 रकबा 0.06 हैक्टै0, कुल रकबा 1.06 हैक्टै0 का खातेदार काश्तकार होने तथा काबिज होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाकर प्रतिवादीगण को साविक खसरा नम्बर 238/4 से बने हाल उपरोक्त खसरा नम्बरान के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उपयुक्त पाया जाता है। अतः तनकी नम्बर 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपर्युक्त तनकीवार विवेचन के अनुसार तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि साविक खसरा नम्बर 238/4 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर जो उपर्युक्त वर्णित किये गये है, में अपनी खातेदारी दर्ज करवाये जाने का अधिकारी पाया जाता है तथा उक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये जाने का अधिकारी भी पाया जाता है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर वादी/अपीलान्ट को साबिक खसरा नम्बर 238/4 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 506 रकबा 0.14 हैक्टै0, 507 रकबा 0.06 हैक्टै0, 508 रकबा 0.06 हैक्टै0, 513 रकबा 0.12 हैक्टै0, 525 रकबा 0.06 हैक्टै0, 514 रकबा 0.56 हैक्टै0, 523 रकबा 0.06 हैक्टै0, कुल रकबा 1.06 हैक्टै0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ कर वादी का नाम बतौर खातेदार अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे उपर्युक्त वर्णित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 19–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर